राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ 8884 जयपुर दिनांक 24/8/201

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वा.शा./1995/5944 दिनांक 29.08.2007 को अतिक्रमित करते हुए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगम, नगर परिषदों एवम् नगर पालिकाओं क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 102 उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात :–

1. 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट,
2. 300 वर्गगज तक के संस्थानिक व औद्योगिक परिसर,
3. 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर निर्मित 1500 वर्गफीट (Built up Area) तक के आवासीय फ्लेट।
4. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियां,
5. केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवं प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।
6. निम्नलिखित प्रयोजन हेतु उपयोग में आ रही भूमि/भवन :–
   (i) अनाथ सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पेशनर्स रेस्ट हाउस, महिला आश्रम।
   (ii) अपाहिज, अपंग, मूक–बधिर, अंध विघालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र व ऐसे व्यक्तियो द्वारा संचालित रोजगार केन्द्र।
   (iii) गोशाला, कुष्ठ आश्रम, प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग साधना केन्द्र रैन बसेरा आदि
   (iv) सार्वजनिक जल केन्द्र, (प्याउ) सार्वजनिक मूत्रालय एवं शौचालय
   (v) प्रेसक्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, रिडिंग रूम (सार्वजनिक वाचनालय)
7. राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थाऐ
8. 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भू–खण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built up Area) निर्माण हो, परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/8885-9355 जयपुर दिनांक 24/8/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर

02. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी